L.No. 1115 / USDMA/ 792 (2020)

From

Chief Secretary
Government of Uttarakhand &
Chief Executive Officer,
Uttarakhand State Disaster Management Authority,
Government of Uttarakhand,

To

1. **Mela Adhikari,** *Kumbha Mela* 2021, *Haridwar.*
2. **IG,** *Kumbha Mela* 2021, *Haridwar.*
3. **Commissioner,** *Garhwal & Kumaon.*
4. **District Magistrate,** *Haridwar, Dehradun, Tehri Garhwal and Pauri Garhwal, Uttarakhand.*

USDMA **Dehradun: Date: 26 February,2021**

Subject: SOP for prevention and control of Covid-19 during the *Maha Kumbh Mela,* 2021, *Haridwar.*

Sir,

Ministry of Health & Family Welfare, GoI has issued Standard Operating Procedures (SOPs) on preventive measures to contain Covid-19 spread during *Kumbh Mela* 2021 at *Haridwar*.

Based on the SOPs issued by MoHFW, the Department of Disaster Management, Government of Uttarakhand also issued further additional specific measures/ SOPs to be adhered at various facilities of the *Mela* area such as; Parking area, Halting Points, *Ghats*, Public Transport, Railway Station, Bus Stand/ Depot, Hotels / Restaurants/ Guest Houses, Temples/ Religious Places, Shops/ other business establishments and *Ashrams/ Dharmshalas* to ensure smooth and safe conduct of *Kumbh Mela* which is enclosed as **Annexure - 1**.

In order to ensure implementation of the SOPs by *Mela* administration, District administration & relevant departments and to attract cooperation, compliance of the SOPs by all other stakeholders including other state governments (for devotees coming from other states) and by travellers coming from other countries, the following SOPs is being issued.

1. Applicability (Area and Duration)

1.1. This SOP shall be applicable in the *Mela* area during the *Mela* period (as notified in the *Mela* notification order).

2. Mandatory conditions to visit

a) All devotees coming for *kumbh* with negative RT-PCR test report (Test done 72 hours prior to the date of visit) shall be allowed to enter the *Kumbh Mela* area.

Scanned with CamScanner

b) The devotees shall produce negative RT-PCR test report at entry points/ check posts established at the district border.

c) Prior to their travel all devotees shall mandatorily register on the *Kumbh Mela* registration web portal (www.haridwarkumbhmela2021.com / www.haridwarkumbhpolice2021.com). The travellers shall mandatorily upload all relevant documents in prescribed format in the registration portal. After validation, they shall be issued an e-pass/ e-permit from the portal to enter into the *Mela* area.

d) The e-pass/e-permit shall be randomly verified at the Border Check Post/ Railway Station/ Airport/ in Hotels/ *Dharmashala*/ while boarding trains, buses and in commercial vehicles along with RT-PCR negative test report.

e) Devotees coming without e-pass/e-permit shall not be allowed to enter in to the *Mela* area.

f) All devotees coming from other states shall obtain a compulsory medical fitness certificate from the nearest Community Health Centre/ District hospital/ Medical college from their place of journey/ Origin State which also shall be uploaded in the registration portal and shall be checked at the Border Check Post/ Railway Station/ Airport/ Hotels/ *Dharmashala*/ while boarding in trains, buses and in commercial vehicles.

g) Devotees coming without the compulsory medical certificate issued by a competent authority shall not be allowed to enter *Mela* area.

h) Devotees who comply with the above conditions shall only be allowed to enter/ participate in *Maha Kumbh Mela*, 2021 at Haridwar.

3. Wide publicity of the SOP by all state governments

a) All state governments are requested to widely publicize the SOPs that devotees from other states carrying the following documents are only be allowed to enter the *Kumbh Mela* area.
   i) Negative RT-PCR test report (test done 72 hours prior to the date of visit to *Kumbh Mela*).
   ii) Medical fitness certificate of the devotees from the nearest Community Health Centre/ District hospital/ Medical college (from the place of origin).
   iii) e-pass/ e-permit generated after the registration on the *Maha Kumbh Mela, Haridwar, 2021* registration portal.

b) The devotees may carry such test reports, medical fitness certificate and e-pass/e-permit either on their mobile phones or in hard copies for verification as and when required.

Scanned with CamScanner

4. Protecting vulnerable population

4.1. The high risk group population needs to be protected. The following procedures shall be followed:

a) The Department of Health, Government of Uttarakhand, *Mela* administration and District administration shall ensure that the Healthcare workers and the other frontline workers engaged during *Kumbh Mela* are vaccinated on priority in the ongoing Covid-19 vaccination program. As far as possible only vaccinated health workers and other frontline workers will be deputed for *Kumbh Mela* duties.

b) All District Administration of Uttarakhand as well as other states shall widely circulate the SOPs among all the stakeholders and public well in advance, clearly specifying that the vulnerable population (age more than 65 years; pregnant women; children below the age of 10 years; those with underlying comorbid conditions such as diabetes, hypertension, cardiac disease, chronic lung disease, cerebro-vascular disease, chronic kidney disease, immune-suppression and cancer) are discouraged to attend the *Kumbh Mela*.

c) The employees of Government of Uttarakhand who are at higher risk i.e., older employees, pregnant employees and employees who have underlying medical conditions must take extra precautions. They shall not be exposed to any front-line work requiring direct contact with the public.

5. Promoting COVID appropriate behavior

5.1. Simple public health measures are to be followed to reduce the risk of COVID-19. These measures need to be always observed, by all. These are as follows:

a) Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet in public places as far as feasible.

b) Use of face covers/masks to be made mandatory. *Mela* administration shall make arrangement for Mask dispensing kiosks at approved rates at entry points and parking lots. Provision shall be made for distribution of free masks for those who cannot afford.

c) Levying fines/penalties on defaulters for not wearing mask/face cover or for not following social safety and distancing norms should be done by the enforcement agencies.

d) Practice frequent hand washing with soap (for at least 40-60 seconds) even when hands are not visibly dirty. Use of alcohol-based hand sanitizers (for at least 20 seconds) can be made wherever feasible.

Scanned with CamScanner

e) *Mela* administration shall establish hand washing stations in public utility areas and shall ensure availability of soap and water. Use of foot operated taps and contactless soap dispenser is mandatory.

f) Respiratory etiquettes to be strictly followed. This involves strict practice of covering one's mouth and nose while coughing/sneezing with a tissue/handkerchief/flexed elbow and disposing off used tissues properly.

g) Self-monitoring of health by all and reporting any illness at the earliest to State, *Mela* and District Covid Helpline.

h) Spitting in public places should be strictly prohibited.

i) Installation & use of *Aarogya Setu App* shall be advised to all.

6. In addition to the above given directions, all the central/ state/ district authorities, private organizations and devotees are instructed to adhere and comply with the Paragraph No: 6 & 7(i) to 7(x) of SOPs issued by MoH&FW, GoI on 22nd January 2021 (enclosed at Annexure-2)

7. Advisory to international travellers

a) In addition to the above SOP, International travellers visiting *Kumbh Mela* shall follow the travel advisory available on the website of Ministry of Health and Family Welfare (https://www.mohfw.gov.in/) for international arrivals.

b) This apart, travellers shall fulfil country specific mandatory requirements, if any, prescribed from time to time.

c) The international travellers who intend to visit *Kumbh mela 2021,* Haridwar shall strictly comply with the registration process/ instruction mentioned in the point no:2 i.e. Mandatory conditions to visit and other relevant instructions of this order.

8. Strict enforcement of the SOPs

a) The *Mela* Administration / District Administration shall not dilute these guidelines along with SOPs issued by MoHFW, GoI on 22nd January, 2021 and SOP issued by State government on 9th February, 2021 (L.No. 1054/USDMA/792(2020) TC) issued by the Government of Uttarakhand and ensure its strict enforcement.

9. Penal provision

a) Any persons/ officers involved in the *Haridwar Kumbh Mela*, 2021 violating theses SOPs will be liable to proceeded against as per the provisions of section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005 besides

Scanned with CamScanner

legal action under section 188 of the IPC and other legal provisions as applicable. Extracts of these penal provisions are enclosed at ***annexure***-3.

Enclosed as above

Yours sincerely

Om Prakash 26.02.21

(Om Prakash, IAS)
Chief Secretary/
Chief Executive Officer
(USDMA)

Copy for information and necessary action

1. Secretary, Hon'ble Governor, Uttarakhand.
2. Secretary, Hon'ble Chief Minister, Uttarakhand.
3. Secretary, Vidhan Sabha, Uttarakhand.
4. Advocate General, Hon'ble High Court, Nainital.
5. Secretary, Department of GOPAN, Government of Uttarakhand.
6. Staff Officer to Chief Secretary, Government of Uttarakhand.
7. Secretary, MHA, GoI.
8. Secretary, MoH&FW, GoI.
9. Secretary, Ministry of Railway, GoI
10. Secretary, Ministry of Civil Aviation, GoI.
11. Secretary, Ministry of External Affairs, GoI.
12. Member Secretary, NDMA, GoI
13. All Resident Commissioners
14. Secretary, Home, Government of Uttarakhand
15. Secretary, Health, Government of Uttarakhand
16. Secretary, Urban Development, Government of Uttarakhand
17. Secretary, Department of Tourism, Government of Uttarakhand
18. Secretary, Department of Information
19. Director, AIIMS, New Delhi.
20. Director AIIMS, Rishikesh, Dehradun, Uttarakhand
21. Joint Secretary, DM Division – II, MHA, GoI

By order

(S.A. Murugesan, IAS)
Secretary,
Department of Disaster
Management &
Rehabilitation

Scanned with CamScanner

संख्याः 1054 /USDMA/792(2020) TC

प्रेषक,

सचिव
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **मेला अधिकारी,** महाकुंभ मेला, 2021, हरिद्वार
2. **महानिरीक्षक,** महाकुंभ मेला, 2021, हरिद्वार
3. **आयुक्त,** गढ़वाल मण्डल।
4. **जिलाधिकारी,** हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. **देहरादूनः दिनांक 09 फरवरी, 2021**

विषयः महाकुंभ, 2021 के दृष्टिगत् कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु अतिरिक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों (एस0ओ0पी0) को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2021 को महाकुंभ मेला हरिद्वार–2021 के दौरान कोविड़–19 के संक्रमण से बचाव हेतु मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) निर्गत की गयी है।

भारत सरकार द्वारा उक्त एस0ओ0पी0 के माध्यम से कुम्भ अवधि में संवेदनशील जनसमुदाय को कोविड–19 के संक्रमण से सुरक्षित रखे जाने तद्सम्बन्धित उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा दिये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त एस0ओ0पी0 के आधार पर, मेला क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों एवं परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी अतिरिक्त मानक प्रचालन कार्यविधियाँ विकसित की गयी हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	आश्रम / धर्मशाला	6.	वाहन पार्किंग स्थान
2.	होटल / रेस्टोरेन्ट / गेस्ट हाउस	7.	हॉल्टिंग पॉइंट्स
3.	दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	8.	घाट
4.	धार्मिक स्थल	9.	रेलवे स्टेशन
5.	सार्वजनिक परिवहन	10.	बस स्टेशन

अतः सभी श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों, यात्रियों, अधिकारियों व कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधि के साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की गयी मानक प्रचालन कार्यविधियों (1 से 10 तक) के दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 तथा महामारी अधिनियम–1897 की सुसंगत धाराओं के अनुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सन्दर्भ की सुलभता हेतु मानक प्रचालन कार्यविधियाँ (1 से 10 तक) की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(एस. ए. मुरूगेशन)
सचिव
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
9. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून।
11. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
12. सम्बन्धित पत्रावली।

9/2/2021

(एस. ए. मुरूगेशन)
सचिव
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

आश्रम/धर्मशाला

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आश्रम, धर्मशाला (सरकारी और निजी) के संचालन के लिए कुंभ मेले के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. आश्रम/धर्मशाला में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था आश्रम/धर्मशाला के प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री को महाकुंभ मेला, 2021 के वैब पोर्टल पर पंजीकृत यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई यात्री बिना पंजीकरण कराये राज्य में प्रवेश करता है, तो उसकी सूचना मेला प्रशासन एवं जिला प्रशासन को दिए जाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधक की होगी।

3. आश्रम/धर्मशाला में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हरिद्वार आगमन की तिथि से 72 घण्टे पूर्व तक की आर0टी0पी0सी0आर0 की कोविड–19 निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा।

4. प्रत्येक आश्रम/धर्मशाला के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनेटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाय और सभी के द्वारा उसका अक्षरशः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5. कोविड–19 की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आश्रम/धर्मशाला प्रबंधन द्वारा किसी भी यात्री की बुकिंग नहीं की जाएगी और ना ही आश्रम/धर्मशाला में ठहराया जायेगा ।

6. एंट्री पास व हथेली के ऊपरी भाग पर अमिट स्याही के चेक्ड मार्क के बिना किसी भी यात्री को आश्रम/धर्मशाला में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

7. यदि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविड–19 के लक्षण पाये जाते हैं तो उसको तत्काल आईसोलेट करते हुए, दूरभाष के माध्यम से मेला प्रशासन तथा कोविड कंट्रोल रूम को सूचित किया जायेगा।

8. आश्रम/धर्मशाला प्रबंधन द्वारा सभी श्रद्धालुओं / पर्यटकों को स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

9. कुम्भ मेला के दौरान आने वाले यात्रियों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा और यदि कोई इसमें सहयोग नहीं करता है तो इसकी सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन को तत्काल दी जानी होगी।

10. आश्रम/धर्मशाला परिसर को समय–समय पर सैनेटाईजेशन करना होगा।

11. प्रत्येक आश्रम/धर्मशाला के स्वागत कक्ष पर मेला कन्ट्रोल रूम, मेला जोनल–सेक्टर मजिस्ट्रेट, थाना, अस्पताल, एम्बुलेंस का दूरभाष नम्बर अंकित किया जायेगा।

12. अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्री आश्रम/धर्मशाला में प्रवेश के समय (बोर्डिंग के दौरान) अपने मूल राज्य, जिला/तहसील एवं स्वास्थ्य केंद्र द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत कोरोना फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

13. आश्रम/धर्मशाला प्रबंधन द्वारा कुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों का सम्पूर्ण विवरण तथा उनकी कोविड–19 निगेटिव रिपोर्ट मेला प्रशासन, मेला जोनल–सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करानी होगी।

14. आश्रम/धर्मशाला प्रबंधन द्वारा प्रवेश एवं निवास के दौरान संदिग्ध पाये गये कोविड रोगियों के परिवहन के लिए मेला स्वास्थ्य दल के सहयोग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी ।

15. आश्रम/धर्मशाला में विभिन्न स्थानों एवं प्रत्येक कमरे में कोविड–19 की रोकथाम हेतु आवश्यक जानकारियाँ/गाइडलाइन्स, कण्ट्रोल रूम व नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के दूरभाष नंबर प्रदर्शित किये जायेंगे ।

16. यदि संवेदनशील व्यक्ति (65 वर्ष से अधिक आयु, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं, तो आश्रम/धर्मशाला प्रबंधन द्वारा ऐसे व्यक्तियों को परिसर से बाहर जाने, पवित्र स्नान करने तथा अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने से हतोत्साहित किया जाएगा।

17. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

18. आश्रम / धर्मशाला परिसर में श्रद्धालुओं / पर्यटकों के कोविड –19 परीक्षण के दौरान आश्रम / धर्मशाला प्रबंधकों द्वारा श्रद्धालुओं / पर्यटकों तथा चिकित्सा दल को आवश्यक सुविधाएं व सहायता प्रदान की जाएगी।

19. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक प्रचालन कार्यविधियों (एस0ओ0पी0) का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

20. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

होटल/अतिथि गृह/रेस्टोरेन्ट

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले में होटल/रेस्टोरेन्ट/अतिथि गृह (सरकारी और निजी) के संचालन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होटल/रेस्टोरेन्ट/अतिथि गृह के प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा महाकुंभ मेला–2021 पोर्टल पर पंजीकृत यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई यात्री बिना पंजीकरण कराये राज्य में प्रवेश करता है, तो उसकी सूचना मेला प्रशासन एवं जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधक की होगी।

3. होटल/अतिथि गृह में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हरिद्वार आगमन की तिथि से 72 घण्टे पूर्व तक की आर0टी0पी0सी0आर0 की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा।

4. होटल/रेस्टोरेण्ट/अतिथि गृह में आने वाले प्रत्येक कार्मिक एवं अतिथि द्वारा सदैव फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। होटल के अन्दर फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

5. यदि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविड–19 के लक्षण पाये जाते हैं तो होटल/रेस्टोरेण्ट/अतिथि गृह प्रबंधन द्वारा उसे तत्काल आईसोलेट करते हुए स्वयंसेवकों अथवा दूरभाष के माध्यम से मेला प्रशासन को सूचित किया जायेगा।

6. होटल/रेस्टोरेण्ट/अतिथि गृह प्रबंधन द्वारा सभी श्रद्धालुओं/पर्यटकों को स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

7. कुम्भ मेला के दौरान आने वाले यात्रियों को मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा और यदि कोई इसमें सहयोग नहीं करता है तो इसकी सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन को तत्काल दी जानी होगी।

8. प्रत्येक होटल/अतिथि गृह/रेस्टोरेण्ट के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से सभी के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

9. प्रत्येक ठहरने वाले यात्रियों के कक्षों में कोविड–19 संक्रमण से बचाव के दृष्टित प्रचार–प्रसार सामग्री को सुलभ व आसानी से नजर पड़ने वाले स्थानों पर चस्पा किया जाय।

10. प्रत्येक कक्ष में कोविड–19 से संबंधित गाइडलाइन व दूरभाष पंजिका को प्रदर्शित किया जायेगा।

11. प्रत्येक होटल/अतिथि गृह/रेस्टोरेण्ट के स्वागत कक्ष पर जनपद के कन्ट्रोल रूम, जोनल–सेक्टर मजिस्ट्रेट, थाना, अस्पताल, एम्बुलेंस के दूरभाष नम्बर अंकित किये जायेंगे।

12. अतिथियों का विवरण (यात्रा इतिहास, चिकित्सा स्थिति आदि) के साथ–साथ पहचान–पत्र और स्वघोषणा–पत्र अतिथि को स्वागत कक्ष में जमा करना होगा एवं प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज संभाल कर रखे जायेंगे।

13. यदि होटल, रेस्टोरेन्ट व अतिथि गृह में आने वाले किसी यात्री में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देते हैं तो प्रबन्धन द्वारा मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से तत्काल प्रभावित यात्री को उपचार हेतु कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा ।

14. होटल/अतिथि गृह के प्रबंधन द्वारा निवास के दौरान संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए मेला स्वास्थ्य दल के सहयोग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

15. होटल/अतिथि गृह में विभिन्न स्थानों व प्रत्येक कमरे में कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन्स, कण्ट्रोल रूम नंबर्स तथा नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के नंबर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

16. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

17. होटल/अतिथि गृह/रेस्टोरेण्ट में श्रद्धालुओं/पर्यटकों के कोविड –19 परीक्षण के दौरान होटल/अतिथि गृह/रेस्टोरेण्ट प्रबंधकों द्वारा श्रद्धालुओं/पर्यटकों तथा चिकित्सा दल को आवश्यक सुविधाएं व सहायता प्रदान की जाएगी।

18. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

19. उक्त के अतिरिक्त, होटल/रेस्टोरेन्ट/अतिथि गृह प्रबन्धन द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गयी एस0ओ0पी0 का भी कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

20. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दुकानों, व्यवसाय संगठनों (सरकारी और निजी) के संचालन के लिए कुंभ मेले के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी।

3. प्रत्येक आने वाले यात्रियों के सैनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और उसका अक्षरसः अनुपालन भी किया जायेगा।

4. दुकानों/व्यवसायिक संगठनों में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन्स, कण्ट्रोल रूम नंबर्स तथा नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के नंबर प्रदर्शित किये जायेंगे।

5. दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्वयं मास्क का प्रयोग करेंगे और प्रतिष्ठान पर आने वाले यात्रियों से भी मास्क का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन द्वारा सभी श्रद्धालुओं/पर्यटकों/ग्राहकों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

7. निश्चित समयान्तराल पर पूरे परिसर को सैनेटाइज करते रहेंगे तथा परिसर में कोविड–19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत प्रचार–प्रसार सामग्री भी चस्पा करेंगे। स्वागत कक्ष पर कन्ट्रोल रूम नम्बर, जोनल व सैक्टर मजिस्ट्रेटों के नम्बर चस्पा किया जायेगा।

8. कुंभ मेले के दौरान अनावश्यक भीड़–भाड़ से बचाव एवं सामाजिक दूरी के अनुपालन हेतु स्नान की अधिसूचित तिथियों के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं

की दुकानें जैसे – भोजन, डेयरी, दवा, पूजन सामग्री व कंबल आदि की दुकानें ही खुली रहेंगी।

9. दुकानों / व्यवसायिक संगठनों के स्वामी / प्रबंधन द्वारा संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए मेला स्वास्थ्य दल के सहयोग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

10. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

11. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

12. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

धार्मिक स्थल

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धार्मिक स्थलों में कुंभ मेले के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. प्रत्येक धार्मिक स्थल यथा मंदिर आदि में श्रद्धालुओं के प्रवेश से पूर्व मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क आने वाले यात्रियों को मास्क के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी।

3. मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों/श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कोविड–19 से संबंधित लक्षण पाये जाने पर तत्काल इसकी सूचना मेला प्रशासन को देनी होगी एवं मेला स्वास्थ्य दल/कार्मिकों के माध्यम से उन्हें कोविड उपचार केन्द्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

4. मंदिरों में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन्स, कण्ट्रोल रूम नंबर्स तथा नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के नंबर प्रदर्शित किये जायेंगे।

5. दर्शन के दौरान आवश्यक सामाजिक (02 गज की दूरी) का पालन करना आवश्यक होगा। उक्त का पालन कराये जाने का उत्तरदायित्व मंदिर प्रशासन का होगा।

6. निश्चित समयान्तराल पर पूरे परिसर को सैनेटाइज किया जायेगा तथा परिसर में कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन्स, कण्ट्रोल रूम नंबर्स तथा नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के नंबर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

7. धार्मिक स्थल यथा मंदिर आदि के प्रबंधन द्वारा सभी श्रद्धालुओं/पर्यटकों/ग्राहकों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

8. कानून व्यवस्था हेतु मन्दिर प्रबन्धन/मेला प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी।

9. 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भीड़–भाड़ वाले स्थानों में जाने के लिये यथासम्भव हतोत्साहित किया जायेगा।

10. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

11. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

12. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

सार्वजनिक परिवहन

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले में तीर्थयात्रियों से सम्बंधित सार्वजनिक परिवहन (सरकारी और निजी) के संचालन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

2. बसों में टिकटों की बिक्री और खरीद के दौरान और टिकट काउंटरों के आस–पास सामाजिक दूरी का उचित स्तर बनाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। काउंटरों पर तैनात सभी कर्मचारी हर समय मास्क और दस्ताने का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. टिकट काउंटर, बस स्टॉप, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, विक्रम स्टैंड आदि में सामाजिक दूरी के मानक प्रदर्शित करने व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए फर्श स्टिकर और संकेत प्रदर्शित किए जायेंगे ।

4. आपातकालीन समय में प्रभावी और तत्काल प्रतिक्रिया हेतु सभी नियंत्रण कक्षों और नोडल अधिकारियों की सूची सभी बस स्टैंड और टिकट काउंटर पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रयोग किये गए सभी दस्ताने और मास्क आदि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार निस्तारित किये जाएंगे तथा परिवहन संचालकों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

6. यदि किसी भी यात्री में कोविड–19 के लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो ड्राइवर या सहायक अपेक्षित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, स्थानीय पुलिस, नियंत्रण कक्ष को सूचित करेगा।

7. राज्य परिवहन निगम तथा व्यावसायिक वाहन संचालकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं / पर्यटकों /ग्राहकों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

8. राज्य परिवहन निगम तथा व्यावसायिक वाहन संचालकों द्वारा अपने सभी परिवहन कर्मचारियों (ड्राइवरों, सहायकों कर्मचारियों) को कोविड–19 की रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

9. कोविड–19 की रोकथाम के लिए वाहनों में कोविड से बचाव हेतु आवश्यक सूचनाए पोस्टर/स्टिकर आदि के माध्यम से चस्पा की जायेंगी।

10. वाहन स्वामियों/चालक/परिचालक द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से किराया लिया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त दर से अधिक किराये की वसूली नहीं की जायेगी।

11. यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व और यात्रा समाप्ति के पश्चात् वाहन के प्रवेश द्वार, हैण्डल, रैलिंग तथा सीटों आदि को भली–भाँति सैनिटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वाहनों में चालक, परिचालक व समस्त यात्रियों को फेस–मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

13. वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना व उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।

14. यात्रा करते समय पान, तम्बाकू, गुटका, शराब आदि का सेवन प्रतिबन्धित होने के साथ ही वाहन से थूकना दण्डनीय होगा।

15. अन्तर्राज्यीय (अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य आने वाले) यात्रा की स्थिति में सम्बन्धित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाकुम्भ मेला, 2021 के वैब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के उपरान्त ही यात्रा प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

16. कुम्भ मेले हेतु महाकुम्भ मेला, 2021 के वैब पोर्टल पर पंजीकरण किये बिना किसी भी यात्री को बस में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

17. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

18. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

19. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

वाहन पार्किंग स्थान

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले के निर्धारित क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग के लिए कुंभ मेले के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. कुंभ मेले के लिए तीर्थ यात्रियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए, वाहनों की पार्किंग की योजना बनाई जाएगी। अलग–अलग दिशाओं से आने वाने वाहनों हेतु अलग–अलग पार्किंग स्थल बनाये जायेंगे तथा समस्त पार्किंग स्थलों का विवरण मेला अधिकारी, आई0जी0, कुंभ मेला, एस0डी0आर0एफ0 और जिला प्रशासन के साथ साझा किया जायेगा ।

3. पार्किंग क्षेत्र में आग की रोकथाम हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आग से बचाव हेतु पर्याप्त उपकरण व मानव संसाधन की तैनाती की जायेगी।

4. पार्किंग स्थलों व उसके समीप भोजन पकाना प्रतिबन्धित रहेगा।

5. पार्किंग स्थलों पर वाहनों, वाहन चालकों तथा तीर्थयात्रियों की कोविड–19 जाँच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

6. यदि कोई वाहन अथवा तीर्थयात्री महाकुम्भ मेला, 2021 के वैब पोर्टल पर बिना पंजीकरण और प्रवेश–पास के आते हैं, तो उन्हें पवित्र स्नान तथा अन्य धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा ।

7. पार्किंग स्थलों में पुलिस बल, पी0आर0डी0 जवान, होमगार्ड्स और स्वयंसेवकों की पर्याप्त संख्या में तैनाती सुनिश्चित की जायेगी।

8. पार्किंग स्थलों में तैनात पुलिस बल, पी0आर0डी0 जवान और स्वयंसेवकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं / पर्यटकों / यात्रियों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

9. प्रत्येक पार्किंग स्थल में वाहनों के अलग–अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था की सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार बैनरों के माध्यम से इंगित किये जायेंगे।

10. पार्किंग स्थानों पर तैनात अधिकारीयों द्वारा किसी भी यात्री में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में तत्काल प्रभावित यात्री को मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से उपचार हेतु कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा ।

11. पार्किंग स्थानों पर तैनात अधिकारीयों द्वारा मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस की सहायता ली जाएगी।

12. पार्किंग स्थलों में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां बैनर/पोस्टर आदि चस्पा की जायेगी।

13. पार्किंग स्थलों पर वाहन चालकों के लिए शौचालय, पेयजल एवं सैनीटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।

14. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

15. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

16. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

स्नान घाट/घाट

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान हेतु स्नान घाट / घाटों पर निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. पवित्र स्नान के दौरान विभिन्न स्नान घाट / घाटों पर सुरक्षा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, कर्मचारियों, गोताखोरों एवं तैराकों की तैनाती की जानी सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही विभिन्न स्नान घाट / घाटों पर सामाजिक दूरी इंगित करने हेतु भूमि पर गोले (सर्कल) के निशान बनाये जायेंगे ।

3. प्रयोग किये हुए मास्क, दस्ताने आदि के निस्तारण हेतु विभिन्न स्नान घाट / घाटों पर डस्टबिन रखे जाएंगे। विभिन्न स्नान घाट / घाटों पर तैनात पुलिस बल, अधिकारी/ कर्मचारी और स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि तीर्थयात्री इन डस्टबिन का प्रयोग करें ।

4. बायोमेडिकल अपशिष्ट निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

5. पवित्र स्नान (अधिकतम 20 मिनट के भीतर) के तुरंत बाद तीर्थयात्रियों की निकासी के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की तैनाती की जाएगी ताकि तीर्थयात्रियों का अगला जत्था पवित्र स्नान का लाभ उठा सके।

6. पुलिस, एस0डी0आर0एफ0 और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा स्नान घाट / घाट क्षेत्र में उपयुक्त संचार तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से घाट क्षेत्र में तैनात गोताखोरों और तैराकों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सके।

7. स्नान घाट /घाट क्षेत्र में तैनात सभी कर्मी यथा संभव पी0पी0ई0 किट से लैस होंगे और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे।

8. 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले, गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से छोटे बच्चों को पवित्र स्नान तथा स्नान घाट क्षेत्र में प्रवेश हेतु यथासम्भव हतोत्साहित किया जायेगा।

9. स्नान घाट /घाटों के विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां चस्पा की जायेंगी।

10. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

11. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

12. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

हॉल्टिंग पॉइंट्स

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले के दौरान हाल्टिंग पॉइंट्स पर निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

2. मेला प्रशासन द्वारा नामित विभिन्न हॉल्टिंग पॉइंट पर सुरक्षा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।

3. प्रयोग किये हुए मास्क, दस्ताने तथा अन्य कूड़े के लिए डस्टबिन को हॉल्टिंग पॉइंट्स के विभिन्न स्थानों पर रखा जाएगा। हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात पुलिस बल, अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि तीर्थयात्री इन डस्टबिन में प्रयोग किये हुए मास्क तथा अन्य कूड़ा डालें ।

4. बायोमेडिकल अपशिष्ट निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

5. हॉल्टिंग पॉइंट पर आग की रोकथाम हेतु मानव संसाधन एवं अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

6. हॉल्टिंग पॉइंट पर भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों को पकाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

7. हॉल्टिंग पॉइंट पर बिजली आपूर्ति की उचित व्यवस्था की जाएगी।

8. हॉल्टिंग पॉइंट्स पर अलग–अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जायेगी तथा प्रवेश व निकास द्वार को बड़े बड़े बैनरों के माध्यम से इंगित किया जायेगा।

9. हॉल्टिंग पॉइंट्स पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस तथा सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

10. पुलिस, एस0डी0आर0एफ0 और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा हॉल्टिंग पॉइंट्स पर उपयुक्त संचार तंत्र स्थापित किया जाएगा और तथा हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित किया जायेगा।

11. हॉल्टिंग पॉइंट्स में तैनात सभी कर्मी यथा संभव पी0पी0ई0 किट से लैस होंगे और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे।

12. हॉल्टिंग पॉइंट्स में तैनात पुलिस बल, पी0आर0डी0 जवान और स्वयंसेवकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं / पर्यटकों / यात्रियों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

13. 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यथासम्भव रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी निकासी के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

14. हॉल्टिंग पॉइंट्स में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां चस्पा की जायेंगी ।

15. बिना पंजीकरण व प्रवेश पास वाले तीर्थयात्रियों को स्नान और अन्य धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

16. हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात अधिकारियों द्वारा किसी भी यात्री में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में मेला स्वास्थ्य कार्मिकों की सहायता से तत्काल प्रभावित यात्री को उपचार हेतु कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा ।

17. हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात अधिकारियों द्वारा संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए मेला स्वास्थ्य कार्मिकों की सहायता से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

18. हॉल्टिंग पॉइंट्स पर शौचालय, पेयजल एवं सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएँगी।

19. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

20. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

21. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

रेलवे स्टेशन

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन, हरिद्वार एंव ऋषिकेश तथा अन्य रेलवे स्टेशनों से समन्वय स्थापित करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले के दौरान रेलवे स्टेशन पर निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

2. तीर्थयात्रियों के आगमन और प्रस्थान के प्रबंधन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन के प्रमुख के साथ लगातार समन्वय बनाये रखा जायेगा ।

3. रेलवे स्टेशन पर (i) रेलवे टिकट के साथ ही कुंभ मेला हेतु प्रवेश के लिए (ii) पंजीकरण–पत्र एवं (iii) कोविड–19 की आर0टी0पी0सी0आर0 जाँच नेगेटिव दिखाने के पश्चात ही यात्रियों/श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. रेलवे स्टेशन के प्रवेश एवं निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनेटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी और सभी के द्वारा उसका अक्षरशः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

5. रेलवे स्टेशन के परिसर के विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में हैण्ड सैनेटाईजर उपलब्ध करवाया जायेंगे तथा समय–समय पर रेलवे स्टेशन परिसर को सैनेटाइज किया जायेगा।

6. रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस बल, पी0आर0डी0 जवान और स्वयंसेवकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं/पर्यटकों/यात्रियों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. हरिद्वार और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के समीप तीर्थ यात्रियों के हाल्टिंग हेतु उचित स्थान का चिन्हीकरण रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये किया जायेगा ताकि तीर्थ यात्रियों का आवागमन सुगम हो और भगदढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

8. सुरक्षा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने, प्रवेश परमिट की जांच, अमिट स्याही से हथेली के ऊपरी भाग में कोविड निगेटिव मुहर लगाने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ प्रबंधन, संवेदनशील यात्रियों को रोकने जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं, पी0आर0डी0, पुलिस कर्मी, स्वयंसेवकों को तैनात किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. प्रयोग किये हुए मास्क तथा अन्य कूड़े के लिए रेलवे स्टेशन के विभिन्न हाल्टिंग पॉइंट पर डस्टबिन रखे जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस बल, अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि तीर्थयात्री इन डस्टबिन में अपना मास्क तथा अन्य कूड़ा डालें।

10. बायोमेडिकल अपशिष्ट निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

11. रेलवे स्टेशन पर बोर्डिंग और डी–बोर्डिंग के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

12. रेलवे स्टेशन के हाल्टिंग प्वाइंट पर भोजन व अन्य खाद्य पदार्थों को पकाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

13. रेलवे स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट पर आग की रोकथाम हेतु मानव संसाधन एवं अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

14. रेलवे स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट पर बिजली की आपूर्ति व शार्ट सर्किट सम्बन्धित घटनाओं पर नियंत्रण पाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

15. पुलिस, एस0डी0आर0एफ0 और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा हाल्टिंग पॉइंट्स पर उपयुक्त संचार तंत्र स्थापित किया जाएगा तथा इससे रेलवे स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात कर्मियों को जोड़ा जाएगा।

16. हॉल्टिंग पॉइंट्स में तैनात सभी कार्मिक यथासंभव पी0पी0ई0 किट से लैस होंगे और सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन करेंगे।

17. हॉल्टिंग पॉइंट्स में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां चस्पा की जायेंगी ।

18. रेलवे स्टेशन पर तैनात अधिकारियों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी यात्री में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में तत्काल प्रभावित यात्री

को उपचार हेतु मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा।

19. यदि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविड–19 के लक्षण पाये जाते हैं तो उसको तत्काल आईसोलेट करते हुए, दूरभाष के माध्यम से मेला प्रशासन तथा कोविड कंट्रोल रूम को सूचित किया जायेगा।

20. रेलवे स्टेशन पर तैनात अधिकारियों द्वारा संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से की जाएगी।

21. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

22. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

23. मेला प्रशासन द्वारा रेलवे प्रशासन, हरिद्वार एवं ऋषिकेश से समन्वय स्थापित करते हुये उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

बस स्टैंड/स्टेशन/डिपो

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले के दौरान बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन पर निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

2. तीर्थयात्रियों के आगमन और प्रस्थान के प्रबंधन के लिए सभी बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के प्रमुख के साथ लगातार समन्वय बनाये रखा जायेगा ।

3. बस स्टैंड/स्टेशन/डिपो पर कुंभ मेला हेतु प्रवेश के लिए (i) पंजीकरण–पत्र एवं (ii) आर0टी0पी0सी0आर0 की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के पश्चात ही यात्रियों/श्रद्धालुओं को बस में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. बस स्टैंड/स्टेशन/डिपो के परिसर के विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में हैण्ड सैनेटाईजर उपलब्ध करवाया जायेंगे तथा समय–समय पर बस स्टैंड/स्टेशन/डिपो परिसर को सैनेटाइज किया जायेगा।

5. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के समीप तीर्थ यात्रियों के हाल्टिंग हेतु उचित स्थान का चिन्हीकरण बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये किया जायेगा ताकि तीर्थ यात्रियों का आवागमन सुगम हो और भगदढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

6. सुरक्षा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने, प्रवेश परमिट की जांच, अमिट स्याही से हथेली के ऊपरी भाग में कोविड निगेटिव मुहर लगाने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ प्रबंधन, संवेदनशील यात्रियों को रोकने जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन अधिकारियों के नियंत्रण में चिकित्सा सेवाएं, पुलिस कर्मी, स्वयंसेवकों की तैनाती की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

7. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन पर तैनात पुलिस बल और स्वयंसेवकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं / पर्यटकों / यात्रियों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

8. प्रयोग किये हुए मास्क तथा अन्य कूड़े के लिए बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के विभिन्न हाल्टिंग पॉइंट पर डस्टबिन रखे जाएंगे। बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन पर पर तैनात अधिकारी और स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि तीर्थयात्री इन डस्टबिन में अपना प्रयोग किया हुआ मास्क तथा अन्य कूड़ा डालें।

9. बायोमेडिकल अपशिष्ट निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

10. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन पर बोर्डिंग और डी–बोर्डिंग के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

11. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के हाल्टिंग प्वाइंट पर भोजन व अन्य खाद्य पदार्थों को पकाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

12. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट पर आग की रोकथाम हेतु मानव संसाधन एवं अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

13. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट पर बिजली की आपूर्ति व शार्ट सर्किट सम्बन्धित घटनाओं पर नियंत्रण पाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

14. पुलिस, एस0डी0आर0एफ0 और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा हाल्टिंग पॉइंट्स पर उपयुक्त संचार तंत्र स्थापित किया जाएगा तथा इससे बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात कर्मियों को जोड़ा जाएगा।

15. हॉल्टिंग पॉइंट्स में तैनात सभी कार्मिक यथा संभव पी0पी0ई0 किट से लैस होंगे और सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन करेंगे।

16. हॉल्टिंग पॉइंट्स में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां चस्पा की जायेंगी ।

17. बस स्टैंड/स्टेशन/डिपो पर तैनात अधिकारियों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी यात्री में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में तत्काल प्रभावित यात्री को उपचार हेतु मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा।

18. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन पर तैनात अधिकारियों द्वारा संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से की जाएगी।

19. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

20. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

21. मेला प्रशासन द्वारा बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन प्रबंधकों से समन्वय स्थापित करते हुये उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

Government of India

Ministry of Health and Family Welfare

Standard Operating Procedures on preventive measures to contain spread of COVID-19 during Kumbh Mela, Haridwar 2021.

1. Background

Kumbh Mela is not only a religious pilgrimage, but also perhaps the largest mass gathering at one place. It is celebrated four times over a course of 12 years and spans four locations. This year the Kumbh Mela would be held at Haridwar (Uttarakhand). The likely dates for this event are from 27th February 2021 to 30th April 2021. It is expected that about 1 million (10 lakh) people will attend the mela on a regular day and about 5 million (50 lakh) people will attend the mela on auspicious days. There are six auspicious days: Magh Purnima (27th February 2021), Mahashivratri (11th March 2021), Somvati Amavasya (12th April 2021), Baisakhi (14th April 2021), Ram Navmi (21st April 2021), and Chaitra Purnima (27th April 2021). These days are expected to witness large surge of crowds congregating at Har Ki Pauri Ghat, Haridwar, to take holy bath.

2. Scope

Primarily, the Government of Uttarakhand is responsible for instituting measures to prevent spread of COVID-19 during Kumbh Mela and ensure prompt public health response to an outbreak. Ministry of Health and Family Welfare shall support the State with advocacy, training, risk assessment, surveillance and public health response in such an event, if required.

Mass gathering events, such as this, have the potential to facilitate the transmission of the virus and potentially disrupt the gains made by the country in COVID-19 management. This document outlines various generic precautionary measures to be adopted in addition to specific measures to be taken to prevent spread of COVID-19.

The State govt may implement additional measures within their jurisdiction as per their local assessment and in line with activities permitted by Ministry of Home Affairs (MHA) as per extant MHA orders issued under Disaster Management Act, 2005.

3. Protecting vulnerable population

The high risk group population needs to be protected. The following procedures shall be followed:

i. The Government of Uttarakhand shall ensure that the Healthcare workers and the other frontline workers engaged during Kumbh Mela medical and public health operations are vaccinated on priority in the ongoing vaccination of this group. Only vaccinated Healthcare and other frontline workers be deputed for Kumbh Mela duties.

Scanned with CamScanner

ii. The Government of Uttarakhand shall follow registration of the devotees and a compulsory medical certification regimen on similar lines as being practiced for the Shri Amarnathji Yatra. All devotees desirous of attending the Kumbh Mela shall:
   a. register with the Government of Uttarakhand.
   b. obtain a compulsory medical certificate from the nearest Community Health Centre/ District hospital/ Medical college in their State.

iii. Government of Uttarakhand shall widely circulate this requirement to all the States well in advance, clearly specifying that the vulnerable population [age more than 65 years; pregnant women; children below the age of 10 years; those with underlying comorbid conditions such as diabetes, hypertension, cardiac disease, chronic lung disease, cerebro-vascular disease, chronic kidney disease, immune-suppression and cancer] shall be discouraged to attend the Kumbh Mela.

iv. Devotees coming to the Kumbh Mela site without the compulsory medical certificate issued by a competent authority as detailed in para 3(ii) above shall not be allowed.

v. State government employees who are at higher risk i.e., older employees, pregnant employees and employees who have underlying medical conditions (as explained above) must take extra precautions. They shall not be exposed to any front-line work requiring direct contact with the public.

4. Promoting COVID appropriate behavior

Simple public health measures are to be followed to reduce the risk of COVID-19. These measures need to be always observed, by all. These are as follows:

i. Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet in public places as far as feasible.

ii. Use of face covers/masks to be made mandatory. Mask dispensing kiosks at Government approved rates may be set up at entry points and parking lots. Provision shall be kept for distribution of free masks for those who cannot afford.

iii. Levying fines/penalties on defaulters for not wearing mask/face cover, or for not following physical distancing norms should be done by the enforcement agencies.

iv. Practice frequent hand washing with soap (for at least 40-60 seconds) even when hands are not visibly dirty. Use of alcohol-based hand sanitizers (for at least 20 seconds) can be made wherever feasible.

v. Establishing hand washing stations in public utility areas and ensuring availability of soap and water. Use of foot operated taps and contactless soap dispensers is mandatory.

vi. Respiratory etiquettes to be strictly followed. This involves strict practice of covering one's mouth and nose while coughing/sneezing with a tissue/handkerchief/flexed elbow and disposing off used tissues properly.

vii. Self-monitoring of health by all and reporting any illness at the earliest to State and District Helpline.

viii. Spitting should be strictly prohibited.

ix. Installation & use of Aarogya Setu App shall be advised to all.

Scanned with CamScanner

5. Mandatory COVID-19 RT-PCR negative test report

The Government of Uttarakhand would widely publicize, as also convey to all other State Governments that devotees with negative RT-PCR test report (test done 72 hours prior to the date of visit) shall only be allowed to enter the Kumbh Mela site. The devotees may carry such test reports either on their mobile phones or in hard copies.

6. Specific administrative measures for preventing spread of COVID-19 during Kumbh Mela

The Kumbh Mela authorities may consider curtailing the total duration of the Kumbh Mela. They shall comply with the administrative requirements as below:

a) Establishing Incident command / coordination system (ICS)

i. A designated COVID-19 Nodal Officer of appropriate seniority to be responsible for addressing COVID-19 concerns within the Mela Area. He/she will be regularly co-ordinating with other stakeholders to ensure implementation of this Standard Operating Procedure at operational level.
ii. The Incident Command System for the Kumbh Mela will have a COVID-19 task force that will respond to all matters related to COVID-19 management.
iii. The emergency operation center/control room within ICS will have dedicated monitoring desks for COVID-19.

b) Planning Considerations

The Kumbh Mela Administration shall ensure the following:

i. Identify spatial boundaries of the Mela Area keeping in view the physical distancing requirements and prepare a detailed site plan which would facilitate compliance with thermal screening, physical distancing, sanitization, etc.
ii. Multiple and separate entry and exits for devotees shall be ensured. Help desks should be set up and widely publicized with adequate number of staff to ensure that people do not wander around for want of direction.
iii. Entrances to have mandatory contactless hand hygiene and multiple thermal screening provisions. Anyone found symptomatic during thermal screening should be politely refused entry and advised to seek immediate medical care.
iv. The crowd density does not remain the same throughout the day and usually peaks around certain hours of the day and on auspicious days (as mentioned above). Planning for the event should specifically factor this so that crowds are regulated and managed to ensure physical distance and frequent sanitization.
v. Volunteers should be appropriately stationed to ensure thermal scanning, physical distancing and wearing of masks.
vi. Keeping in view the physical distancing norms, the Kumbh Mela site should have proper markings at all locations which are likely to be visited by devotees.
vii. Staggering of devotees to be done maintaining physical distancing of a minimum of 6 feet, when queuing up for the holy bath.

Scanned with CamScanner

viii. Events such as exhibitions, fairs, prayer meetings etc within the Kumbh Mela site shall be restricted/ regulated as far as feasible. For those allowed by the Mela Administration, the number of people should not exceed the limit prescribed by the Ministry of Home Affairs/MHA.

ix. Seating arrangement in the pandals (akharas), food courts, prayer meetings, etc. must ensure adequate physical distancing. The number of shops, stalls, cafeteria, etc. must be curtailed and such establishments too shall always follow physical distancing norms.

x. Community kitchens/langars / "Ann-daan", etc. at event venue should also follow physical distancing norms while preparing and distributing food.

xi. In view of potential risk of spread of infection by groups singing bhajans/chants, etc., recorded devotional music/songs may be played and singing groups/chants should not be allowed as far as feasible.

xii. Proper crowd management outside the main venue - in parking lots, waiting areas, stalls and eateries etc. - duly following physical distancing norms shall be ensured.

xiii. Provision of Close circuit cameras must be done to monitor compliance of physical distance norms, wearing of masks at each venue

xiv. Adequate number of ambulances, with provision for sanitizing them after each round should be kept ready. The control room should monitor their usage. A dedicated corridor should be created for the ambulances for obstruction free movement.

7. Specific Technical requirements for preventing spread of COVID-19 during Kumbh Mela

i. <u>Health Risk Assessment</u>

a. The state govt shall conduct health risk assessment in the context of prevailing COVID-19 situation in the local area in and around the Kumbh Mela and prepare a surveillance and response plan.

b. the state shall deploy adequate public health teams in co-ordination with other agencies to monitor prevention and control measures.

c. A risk assessment team shall be stationed at the mela site, and will recommend further necessary measures such as modification of the event, if the risk of spreading COVID-19 remains significant.

ii. <u>Surveillance</u>

a. The State Government shall set up a surveillance system in accordance with the surveillance and response plan (as an extension of Integrated Disease Surveillance Program (IDSP) for epidemic prone diseases with focus on COVID-19.

b. The emergency operation center/command and control center shall have a dedicated sub-unit of the State IDSP for real-time monitoring and information management for epidemic prone diseases, with focus on COVID-19.

iii. <u>Laboratory Infrastructure, Diagnostics and Testing</u>

The city of Haridwar may witness a floating population of 1 million on regular days surging to about 5 million on auspicious days. Large number of samples may have to be tested

Scanned with CamScanner

during the event. Therefore, the number of testing centers needs to be augmented considerably.

a. AIIMS, Rishikesh would be the focal point for testing samples of suspect cases. AIIMS, Rishikesh shall also support the State Government for training human resource for laboratory testing.
b. The Government Doon Medical College/ hospital, Dehradun and Himalayan Institute of Medical Sciences & Himalayan Hospital (under Sri Rama Himalayan University), Jolly Grant, Dehradun will also strengthen its facilities for testing samples.
c. The Mela Hospital, the seven identified hospitals by the State Government, BHEL Main Hospital and the four identified private hospitals shall also have RT-PCR testing facilities.
d. In addition to the above arrangements, the State Government would explore putting up mobile testing facilities, including container based RT-PCR mobile labs within the Mela site and/or at temporary hospitals that shall be established.
e. The ICMR testing protocol shall be followed (available at: https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/strategy/Testing_Strategy_v6_04092020.pdf)

iv. Hospital Infrastructure:

The existing bed capacity of government, referral and private hospitals– all combined – is about 2,800 in Haridwar, Rishikesh and Dehradun. This needs to be substantially augmented. The expected surge of the floating population and potential outbreak of Covid or other epidemic prone diseases will overwhelm the existing facilities.

a. Mega-size temporary hospitals (1000 beds) that would augment bed capacity by at least 2,000 beds shall be established. State Government may contact DRDO for setting up such facilities.
b. The State Government shall also assess the requirement of PPE kits, consumables, human resources, oxygen and ventilators, and if required, shall procure and store well in advance.

v. Clinical Management

a. The existing clinical management protocol available at the MoHFW website shall be followed for managing cases COVID-19. These are available at: https://www.mohfw.gov.in/pdf/UpdatedClinicalManagementProtocolforCOVID19dated03072020.pdf
b. A dedicated team of specialists doctors designated by the State Government will remain at call and will liaise with the center of excellence at AIIMS Delhi on a regular basis through VC in case of any clarifications in clinical management.

vi. Infection Prevention and Control

a. Public utility areas and open spaces shall be sanitized at least twice a day with 1% Sodium Hypochlorite within the Kumbh Mela premises.
b. Cleaning and regular disinfection (using 1% sodium hypochlorite) of frequently touched surfaces (handrails, que barricades, seats, benches, washroom fixtures, etc.) to be made mandatory in all public utility common areas.
c. Deep cleansing of the toilets, hand washing and drinking water stations shall be done at least 3-4 times daily.

Scanned with CamScanner

d. Visitors and staff should be advised to dispose of used face covers / masks in covered bins available at the premises. The waste thus generated may be disposed of in accordance with the hazardous waste disposal guidelines.

e. Guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare available at https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplacesincl ud ingoffices.pdf shall be followed.

vii. Logistics and Supply Chain

a. Appropriate arrangements for personal protection gears like face covers/masks, and other logistics like hand sanitizers, soap, sodium hypochlorite solution for sanitizing frequently touched surfaces etc. shall be made available by Kumbh Mela authorities / State Government for their staff, as per requirements.

b. Adequate availability of calibrated thermal guns shall be ensured.

c. Availability of covered dustbins and trash cans in sufficient numbers to manage waste as per CPCB guidelines (available at: https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/Bio- Medical-Waste/BMWGUIDELINES- COVID_1.pdf) must be ensured.

viii. Capacity building

a. National Centre for Disease Control (NCDC), New Delhi along with the State level experts shall train adequately in advance appropriate number of health personnel in close collaboration with State Government.

b. A hands-on-training on critical care management for COVID cases shall be arranged by AIIMS, Rishikesh with support from AIIMS, New Delhi.

c. The State Chapter of Indian Medical Association (IMA) shall conduct workshops in Haridwar, Rishikesh and nearby towns to sensitize private practitioners to detect and report cases of influenza like illness and severe acute respiratory illness (SARI). This information should also be captured in the IDSP

ix. Information Management

The special State/ District Surveillance unit of IDSP at Kumb Mela shall generate daily report in the format prescribed in the Surveillance and Response plan.

x. Risk Communication

a. COVID related generic and specific requirements shall be widely publicized through print and visual media by the State Government.

b. Posters/standees/AV media on preventive measures from COVID-19 must be displayed at prominent locations.

c. Do's and Don'ts also to be displayed at vantage points.

d. Recorded messages on precautionary measures and COVID appropriate behaviour may be played on public address systems installed in the Mela premises.

e. Website of the Kumbh Mela, mobile application and that of the Uttarakhand tourism department, must display preventive measures for COVID-19 at their landing page. The website/ mobile application shall inform the devotees on

Scanned with CamScanner

self-monitoring of health and not to visit the Kumbh Mela if suffering from symptoms of Covid-19. The website/mobile application shall also provide information regarding the provisions mentioned in para 3 (ii-iv) of this SOP.

f. Display helpline numbers and also numbers of local health authorities at prominent places.

xi. Advisory to international travelers

a. In addition to the above SOP, International travelers visiting Kumbh Mela shall follow the travel advisory available on the website of Ministry of Health and Family Welfare (https://www.mohfw.gov.in/) for international arrivals.

b. This apart, travelers shall fulfill country specific mandatory requirements, if any, prescribed from time to time.

Scanned with CamScanner

Annexure- 3

Offences and Penalties for Violation of Lockdown Measures

A. Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005

51. Punishment for obstruction, etc.—Whoever, without reasonable cause —

(a) obstructs any officer or employee of the Central Government or the State Government, or a person authorised by the National Authority or State Authority or District Authority in the discharge of his functions under this Act; or

(b) refuses to comply with any direction given by or on behalf of the Central Government or the State Government or the National Executive Committee or the State Executive Committee or the District Authority under this Act,

shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.

52. Punishment for false claim.—Whoever knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits consequent to disaster from any officer of the Central Government, the State Government, the National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

53. Punishment for misappropriation of money or materials, etc.—Whoever, being entrusted with any money or materials, or otherwise being, in custody of, or dominion over, any money or goods, meant for providing relief in any threatening disaster situation or disaster, misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part thereof or wilfully compels any other person so to do, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

54. Punishment for false warning.—Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic, shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine.

55. Offences by Departments of the Government.—(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offence was committed without his

Scanned with CamScanner

knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Department of the Government and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the head of the Department, such officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

56. Failure of officer in duty or his connivance at the contravention of the provisions of this Act.—Any officer, on whom any duty has been imposed by or under this Act and who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office shall, unless he has obtained the express written permission of his official superior or has other lawful excuse for so doing, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

57. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.—If any person contravenes any order made under section 65, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

58. Offence by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company or body corporate, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also, be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this section—

(a) "company" means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Scanned with CamScanner

59. Previous sanction for prosecution.—No prosecution for offences punishable under sections 55 and 56 shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be, or of any officer authorised in this behalf, by general or special order, by such Government.

60. Cognizance of offences.—No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by—

(a) the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised in this behalf by that Authority or Government, as the case may be; or

(b) any person who has given notice of not less than thirty days in the manner prescribed, of the alleged offence and his intention to make a complaint to the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised as aforesaid.

B. Section 188 in the Indian Penal Code, 1860

188. Disobedience to order duly promulgated by public servant.—Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such disobedience causes or trends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Explanation.—It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm.

Illustration

An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.

***

Scanned with CamScanner